महत्वपूर्ण

संख्या-2557/सैंतीस-2-2017-5(16)/2017

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

1- प्रमुख सचिव,
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन ।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

3- निदेशक,
मण्डी परिषद, उ0प्र0,
लखनऊ ।

4- निदेशक (प्रशासन एवं विकास),
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ ।

लखनऊ :: दिनांक- 15 दिसम्बर, 2017

पशुधन अनुभाग-2

विषयः- प्रदेश में पंजीकृत गोशालाओं में संरक्षित गोवंश के भरण-पोषण हेतु अनुदान दिये जाने हेतु प्रचलित व्यवस्था/प्रक्रिया का सरलीकरण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन की अध्यक्षता में दिनांक-15.11.2017 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में निर्गत कार्यवृत्त संख्या-2195/सैंतीस-2-2017-5(16)/2017 दिनांक-07.12.2017 के क्रम में मण्डी परिषद के मण्डी शुल्क/सेस से प्राप्त होने वाली आय का एक प्रतिशत गो-संरक्षण एवं गो संवर्धन हेतु व्यय किये जाने के संबंध में कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-2992(1)/80-1-2015-600(116)/99टीसी दिनांक-08.01.2016 को अवक्रमित करते हुये पंजीकृत गोशालाओं में संरक्षित गोवंश के भरण-पोषण हेतु मण्डी परिषद के मण्डी शुल्क/सेस की आय से अनुदान दिये जाने के संबंध में निम्नवत् व्यवस्था की जाती है:-

1- वर्तमान में प्रदेश में कुल 495 पंजीकृत गोशालाएं हैं, जिनमें लगभग 87000 गोवंश की उपलब्धता है। इनके भरण-पोषण की व्यवस्था के संबंध में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने, स्थलीय/भौतिक निरीक्षण/सत्यापन हेतु गठित समिति द्वारा सत्यापन किये जाने, मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा आवेदन पत्रों का परीक्षण कर डी0पी0आर0 सहित अपनी संस्तुति गो सेवा आयोग को उपलब्ध कराये जाने तथा शासन स्तर पर उसका निस्तारण किये जाने हेतु निम्न कार्यक्रमानुसार कार्यवाही की जायेगीः

क्र0सं0	अवधि	कार्यक्रम
1	दिनांक-01.01.2018 से 31.01.2018 तक	इस अवधि में समस्त पंजीकृत गोशालाओं द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर शासकीय अनुदान हेतु अपना आवेदन पत्र सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के यहॉ केवल आनलाइन अथवा रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट के

Scanned with OKEN Scanner

		माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।
2	दिनांक-01.02.2018 से 15.02.2018 तक जंच	आवेदन पत्रों में अंकित पंजीकृत गोशालाओं के स्थलीय/भौतिक निरीक्षण/सत्यापन हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाएगा, जिसके द्वारा उक्त अवधि में गोशालाओं का स्थलीय/भौतिक सत्यापन कर अपनी सत्यापन रिपोर्ट, जिसमें पंजीकृत गोशालाओं की संख्यात्मक क्षमता, उपलब्ध पशुओं की संख्या व गोशालाओं की अवस्थापना सुविधा तथा पेन नम्बर, आधार नम्बर, बैंक खाता नम्बर का समग्र विवरण हो (वीडियो रिकार्डिंग सहित) मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा:- 1- सम्बन्धित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी। 2- सम्बन्धित क्षेत्र के खण्ड विकास अधिकारी। 3- सम्बन्धित क्षेत्र के उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी।
3	दिनांक-15.02.2018 से 28.02.2018 तक	इस अवधि में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित 05 सदस्यीय समिति द्वारा प्राप्त सत्यापन रिपोर्ट एवं गोशालाओं के अभिलेखों के परीक्षण के उपरान्त डी0पी0आर0 एवं अपनी संस्तुतियों सहित आवेदन पत्रों को उ0प्र0 गो सेवा आयोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। गोशालाओं को प्रदत्त अनुदान की शुचिता एवं पारदर्शिता का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व, उ0प्र0 गो सेवा आयोग का होगा।
4	दिनांक-01.03.2018 से 15.03.2018 तक	उ0प्र0 गो सेवा आयोग द्वारा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (मदवार/वर्गवार विश्लेषण/स्थलीय निरीक्षण आख्या सहित) सहित पात्र गोशालाओं को शासकीय अनुदान प्रदान करने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पर शासन की संस्तुति के क्रम में मण्डी परिषद/गो सेवा आयोग के माध्यम से संगत मद में उपलब्ध धनराशि के आधार पर आर0टी0जी0एस0/आनलाइन अन्तरण सेवा के माध्यम से गोशालाओं को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

2- मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति का स्वरूप निम्नवत् होगा:-

(1)	मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष
(2)	जिलाधिकारी के प्रतिनिधि	सदस्य
(3)	संबंधित जनपद के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	सदस्य सचिव
(4)	गोशाला क्षेत्र के पशु चिकित्साधिकारी	सदस्य
(5)	संबंधित खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य

3- स्थलीय/भौतिक निरीक्षण हेतु गठित समिति द्वारा पंजीकृत गोशालाओं में संरक्षित पशुओं की संख्या के आधार पर आंकलन कर गोशाला की संख्यात्मक क्षमता व भौतिक निरीक्षण के समय गोशाला में उपलब्ध गोवंश की वास्तविक संख्या में से जो कम हो, को मानक मानते हुए, उसके 70 प्रतिशत की संख्या को मानक के रूप में स्वीकार करते हुये उसके सापेक्ष वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की स्थिति में रू0 30/- प्रतिदिन/प्रति पशु के आधार पर कुल 365 दिनों के भरण-पोषण हेतु अनुदान देय होगा। भरण-पोषण हेतु दिये जाने वाले रू0 30/- प्रतिदिन/प्रति पशु के अतिरिक्त उनके भरण-पोषण पर होने वाले व्यय-भार का वहन संस्था द्वारा गोशाला से उत्पादित गोबर, गोमूत्र, पंच्यगव्य आदि सहउत्पादों से प्राप्त आय अथवा स्वयं अन्य श्रोतों से वहन किया जायेगा। इसी प्रकार गोवंश के भरण-पोषण पर आने वाले अवशेष 30 प्रतिशत का व्यय-भार भी संस्था द्वारा उपरोक्तानुसार वहन किया जायेगा।

4- पशुधन की संख्या एवं गोशालाओं को प्रदत्त अनुदान की प्रचलित व्यवस्था के संदर्भ में गोशालाओं द्वारा यह दृष्टिकोण अपनाया जाय कि गोवंश के भरण-पोषण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा

2

Scanned with OKEN Scanner

दी जा रही अनुदान राशि के अतिरिक्त अन्य आवश्यकता की धनराशि हेतु इन गोशालाओं द्वारा स्वयं के द्वारा राजस्व के श्रोत विकसित किये जॉय और गोवंश द्वारा उत्सर्जित पंचगव्य (दूध, दही, घी, गोबर, मूंत्र) के माध्यम से गौशाला के संचालन हेतु अतिरिक्त राजस्व इक्ट्ठा किया जाय।

5- भविष्य में इन गोशालाओं का निरीक्षण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उक्त निर्धारित तिथिवार कार्यक्रम के अनुसार अनिवार्य रूप से करा लिया जाय और उक्त निरीक्षण के आधार पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की स्थिति में उक्तानुसार धनराशि (यथा- रू0 30/- प्रतिदिन/प्रति पशु/365 दिन) का ही भुगतान किये जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा विचार किया जाय।

6- स्थलीय/भौतिक सत्यापन समिति की निरीक्षण आख्या के आधार पर उपाशयित व्ययभार का आकलन कर पंशुपालन विभाग द्वारा यथोचित बजट व्यवस्था कराई जायेगी तथा पूर्व प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार मण्डी परिषद द्वारा शुल्क एवं सेस की धनराशि के माध्यम से उपार्जित आय के एक प्रतिशत अर्थात अनुमानित रूप से रू0 10.00 करोड़ (जो प्रत्येक वर्ष मण्डी परिषद के द्वारा शुल्क/सेस की धनराशि के आधार पर वर्षानुवर्ष अवधारित होगी) मण्डी परिषद द्वारा संगत व्यय हेतु गो सेवा आयोग को उपलब्ध कराई जायेगी। इस संबंध में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रथमतः मण्डी परिषद से मिलने वाली उक्त धनराशि की स्थिति स्पष्ट कराकर उक्त धनराशि को राज्य सरकार द्वारा संगत व्यय हेतु बजट व्यवस्था कराते समय घटाकर ही बजट की व्यवस्था कराई जाय तथा उक्तवत दोनों श्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि को गोवंश के संरक्षण/भरण-पोषण मद में व्यय किया जायेगा।

7- गोशालाओं के भरण-पोषण हेतु प्रदत्त अनुदान में पारदर्शिता एवं शुचिता लाने के दृष्टिगत इन गोशालाओं के पंजीयन के समय प्रस्तुत पैन नम्बर, आधार नम्बर एवं बैंक खाता नम्बर का समग्र विवरण प्राप्त कर लिया जाय और इन आधारभूत अभिलेखों से मिलान के उपरान्ह ही इन्हें आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से भुगतान किया जाय।

8- गोशालाओं को भरण-पोषण हेतु प्रदान की जाने वाली धनराशि के सापेक्ष आकलित अवशेष देयता के भुगतान के औचित्य को अस्वीकार करते हुये यह निर्णय लिया गया कि संगत भरण-पोषण अनुदान में अवशेष देयता के रूप में किसी प्रकार का भुगतान किये जाने का कोई औचित्य नही है और उक्त निर्णयानुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु नवीन व्यवस्था प्रतिपादित की जायेगी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के अवशेष माहों की अवधि हेतु पंजीकृत गोशालाओं के निरीक्षण दिवस को गोशाला में उपलब्ध कुल गोवंश (बड़े एवं छोटे) के सापेक्ष रू0 30/- प्रतिदिन/प्रति पशु के हिसाब से मण्डी परिषद द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि के सापेक्ष भरण-पोषण हेतु अनुदान देय होगा।

9- मण्डी परिषद द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि एवं इस मद में उपलब्ध बजट प्राविधान यदि कम होगा तो आवेदन पत्रों के कुल पशुओं की संख्या के सापेक्ष धनराशि रू0 30/- से कम भी की जा सकती है।

10- प्रदेश की पंजीकृत गोशालायें, पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के माध्यम से अपने आय-व्ययक का स्वयं सत्यापन करकर संबंधित अभिलेख प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में दिनाक 1 अप्रैल को गो सेवा आयोग को उपलब्ध करायेगी। गो सेवा अयोग द्वारा भी अपने नियंत्रणाधीन समस्त वित्तीय अन्तरण/भुगतान का आडिट स्वयं के द्वारा कराया जायेगा तथा किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की दशा में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उ0प्र0 गो सेवा

Scanned with OKEN Scanner

आयोग का होगा। उक्त आडिट मात्र वित्तीय सम्परीक्षा होगी तथा इन व्ययों का कोई कांकरेण्ट आडिट नहीं कराया जायेगा।

11- आवेदन पत्र का प्रारूप, गो सेवा आयोग से विचार-विमर्श कर, निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा तैयार कराकर, आदेश निर्गमन की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा।

12- यह आदेश कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किये जा रहे है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त व्यवस्था/ दिशा-निर्देशों के क्रम में तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव ।

संख्या- 2557(1)/सैंतीस-2-2017 तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सचिव, उ0प्र0 गो सेवा आयोग, लखनऊ ।
2- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3- वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
4- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड-2/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1
6- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(दया शंकर सिंह)
विशेष सचिव ।

Scanned with OKEN Scanner